**प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 26.09.2024**

**थाना मधुबन बापुधाम पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल चोरी करने वाला 01अभियुक्त गिरफ्तार, कब्ज़े से चोरी की मोटर साइकिल, एक अवैध तमंचे व एक जिन्दा कारतूस बरामद।**

**घटना एवं कार्यवाही का विवरण-**

दिनांक 25.09.2024 को थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को चोरी की मोटर साइकिल (फर्जी नम्बर प्लेट लगी), एक अवैध तमंचा एवं एक जिन्दा कारतूस के साथ मनन धाम फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पुछताछ का विवरण**

गिरफ्तार अभियुक्त अमन शातिर किस्म का लूटेरा व वाहन चोर है जिस पर कई थानों मे लूट,वाहन चोरी व आर्म्स एक्ट आदि मामले दर्ज है। शराब पीने का आदी है, अपने शराब पीने के शौक को पूरा करने के लिए आपराधिक घटनाएँ कारित करने मे सक्रिय है।

**नाम पता अभियुक्त**

अमन पुत्र उस्मान निवासी काठ की पुलिया डासना थाना वेव सिटी पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद उम्र लगभग 20 वर्ष

**अपराधिक इतिहास अभियुक्त**

अभियुक्त अमन के विरुद्ध थाना वेवसिटी पर 01 अभियोग मोबाइल लूट, थाना कविनगर पर 01 अभियोग मोबाइल लूट, थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग मोटर साइकिल चोरी का तथा थाना मधुबन बापूधाम पर 01 अभियोग आयुध अधिनियम एवं चोरी की मोटर साइकिल बरामदगी संबंधी कुल 04 अभियोग पंजीकृत हैं।

**बरामदगी**

1. 01 मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस (DL5SCD3314)
2. 01 फर्जी नं0 प्लेट (UP16BS3627)
3. 01 अवैध तमंचा
4. 01 जिन्दा कारतूस

**गिरफ्तार करने वाली टीम**

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

**स्वाट टीम डीसीपी ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये हत्या करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक 01.08.2024 को थाना मुरादनगर कमि0 गाजियाबाद पर वादी मुकदमा श्री जहीर पुत्र श्री अजीज नि0 छितरा बस्ती मोहल्ला पठानान थाना मुरादनगर गाजियाबाद ने तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र शादाब उम्र 30 वर्ष की हत्या कर दी गयी है जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना मुरादनगर पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमें गठित की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 26.09.2024 को स्वाट टीम डीसीपी ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आया अभियुक्त बाबू पुत्र शौकत अली निवासी छितरा बस्ती पठानान मौ0 थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र 51 वर्ष को जलालपुर गाँव नाले के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त के सम्बंध में यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 31.07.2024 से लगातार सीसीटीवी कैमरे की फुटेज एवं मृतक के अन्य सभी साथी गणों से पूछताछ की जा रही थी तथा मुखबिरों से भी लगातार संपर्क कर साक्ष्य संकलन किया जा रहा था। इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली गई तथा संबंधित के मोबाइल डिटेल का भी परीक्षण किया गया। इसी क्रम में मुखबिर से सूचना मिली की कुछ दिन पूर्व बाबू एवं शहजादा का मृतक राशिद से किसी जमानत के कागज को लेकर तथा कुछ पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। इस आधार पर पूछताछ में बुलाने पर इनके द्वारा बहानेबाजी व आनाकानी की गई। साक्ष्य संकलन के उपरांत इनको प्रकाश में लाया गया।

**पूछताछ का विवरण**

अभि0 बाबू ने बताया कि मैने व मेरे भाई शहजादा ने शादाब को मार डाला था क्योंकि शादाब ने अपनी अम्मी शकीला के नाम का जो 80 गज का मकान बना हुआ है इस मकान के कागज शादाब ने मेरी जमानत में लगाए थे क्योंकि मेरे ऊपर थाना मुरादनगर का वर्ष 2013 का बलात्कार का केश था, शादाब ने 14 लाख रुपये का लोन निकाला था परन्तु उसके मकान के कागज मेरी जमानत में लगे थे इसीलिए शादाब का लोन होने में दिक्कत हो रही थी इसलिए शादाब मेरी जमानत तुडवाने के पीछे ही पड गया था। शादाब ने एक दिन हमको बहुत गाली दी हम लोगो ने उसी दिन सोच लिया था कि इस साले को जान से मारना है दिनांक 31.07.2024 को दोपहर दो बजे के आसपास शिवमंगल के प्लाट में जाकर मैं पहले से ही मौजूद था, मेरा भाई शहजादा ने शादाब को बुलाया और हमने मिलकर शादाब के गले में प्लास्टिक की टावर वाली टाई लगाकर वही मार डाला था इस घटना को हम दोनो भाइयो ने मिलकर अंजाम दिया था  और हम दोनो भाई पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अलग अलग अस्पतालो में भर्ती हो रहे थे और खुद को छिपाए हुए थे। आज आपकी टीम ने पकड़ लिया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता**

बाबू पुत्र शौकत अली निवासी छितरा बस्ती पठानान मौ0 थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद, उम्र 51 वर्ष

**अपराधिक इतिहास**

मु0अ0सं0 289/13 धारा 363,366,376,406,120B भादवि थाना मुरादनगर गाजियाबाद
मु0अ0सं0 504/24 धारा 103(1) बीएनएस थाना मुरादनगर गाजियाबाद

**गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम**

स्वाट टीम डीसीपी ग्रामीण जोन
थाना मुरादनगर पुलिस टीम

**थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक 11.09.2024 को थाना लोनी पर कब्रिस्तान के पास चीला का घर थाना लोनी गाजियाबाद में झगडे की सूचना प्राप्त हुई जिसमें वादी सुहेल पुत्र इन्तजार नि0 चिरौड़ी लोनी थाना गाजियाबाद की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी। तत्पश्चात दिनांक 12.09.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये 03 अभियुक्तों 1.फैज पुत्र कासिम 2.सोहेब पुत्र मोमीन 3.आजिम पुत्र रियासत को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

आज दिनांक 26.09.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा लाठी डन्डो से मारपीट कर हत्या का प्रयास करने वाले वांछित अभियुक्त सालिम पुत्र इकराम उम्र 19 वर्ष को बंथला चिरौडी मार्ग निठौरा गेट से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**अभियुक्त से पूछताछ का विवरण**

अभियुक्त सालिम पुत्र इकराम उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 11.09.2024 को विपक्षी (मुकदमा वादी) सुहेल उपरोक्त के भाई व सुहेल के साथ हमारी गाली-गलौच व विवाद हो गया था जिसमें हमने अपने अन्य तीन साथियों फैज, सोहेब, आजिम के साथ मिलकर सुहेल व उसके भाई पर आवेश में आकर लाठी डन्डो, लोहे की रॉड, चाकू आदि से जान से मारने की नियत से हमला कर घायल कर दिया था।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता**

सालिम पुत्र इकराम नि0 चिरौडी लोनी गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष

**अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग**

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम**

थाना लोनी पुलिस टीम

**थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा घर में घुसकर चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुए 03 इयररिंग पीली धातु व 17,000/- रुपये बरामद।**

दिनांक 20.09.2024 को थाना साहिबाबाद पर वादिया आँचल गुप्ता पत्नि स्व0 अरुण कुमार गुप्ता निवासी 33/k A/4 ओम सरस्वती अपार्टमेंट, राधेश्याम पार्क साहिबाबाद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर का ताला तोड़कर 02 डायमंड रिंग, 06 जोड़ी सोने की इयरींग, चादी के लक्ष्मी गणेश, एक लाख रुपये, कुछ विदेशी करेंसी व अन्य सामान चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी। तत्काल थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीबी फुटेज, व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 26.09.2024 को उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त अली मोहम्मद पुत्र स्व0 करीमुद्दीन निवासी सीमापुरी झुग्गी झोपड़ी सीमापुरी शाहदरा दिल्ली उम्र 35 वर्ष को रेलवे स्टेशन साहिबाबाद थाना साहिबाबाद से से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 03 इयररिंग पीली धातु व 17,000/- रुपये बरामद हुए। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरणः**

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मै नशे का आदि हूँ। बन्द पडे मकानों की दिन में रेकी करता हूँ और रात में बन्द पडे मकानों का ताला तोडकर चोरी कर लेता हूँ। मुझसे प्राप्त माल चोरी का ही है। जिसे बेचने की फिराक में इधर उधर घुम रहा था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः**

अली मोहम्मद पुत्र स्व0 करीमुद्दीन निवासी सीमापुरी झुग्गी झोपड़ी सीमापुरी शाहदरा दिल्ली उम्र 35 वर्ष।

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः**

- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है।

**बरामदगी का विवरणः**

- कब्जे से चोरी किये हुए 03 इयररिंग पीली धातु व 17,000/- रुपये बरामद।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः**

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

**थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मोबाइल टावरों से उपकरण चोरी की घटना कारित करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोबाइल टावर रेडियो रिसिवर यूनिट बरामद।**

दिनांक 03.08.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मोबाइल टावरों के रेडियो रिसीवर यूनिट व बैट्रियाँ व अन्य उपकरण चोरी करने वाले 07 अभियुक्तों सलमान, शादाब, अनस , अकबर, साकिब,मोहसिन, सर्फराज को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी किये 20 रेडियो रिसीवर यूनिट मोबाईल टॉवर, 01 मोबाईल टावर की बैट्री व एक कार स्विफ्ट रंग लाल बिना नम्बर प्लेट व एक छोटा हाथी बरामद करते हुए अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया था तथा शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दो टीमों का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 17.09.2024 को उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त हातिम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

आज दिनांक 26.09.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल ईनपुट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अमन पुत्र इकरामुद्दीन निवासी 60 फुटा रोड,समर गार्डन कालोनी, थाना लिसाड़ी गेट मेरठ उम्र करीब 22 वर्ष को अध्यात्मिक स्कूल डासना अण्डरपास के निकट से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी का एक NOKIA AZNA मोबाइल टावर रेडियो रिसिवर यूनिट बरामद हुआ । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

**<u>पूछताछ का विवरणः-</u>**

पूछताछ पर अभियुक्त अमन उपरोक्त ने बताया कि हम सब लोगो का मोबाईल टावर से रेडियो रिसिवर यूनिट, मोबाइल टावर की बैट्री व अन्य सामान चोरी करने व चोरी के सामान को खरीदने बेचने का एक संगठित गिरोह है हमारे गिरोह में से सोनू उर्फ कृपाल मोबाइल टावर की कम्पनी में काम करता है मै तथा मेरे साथी सलमान, अज्जू, शादाब, हातिम, अकरम उर्फ राजा, शाकिब उर्फ राजा, सरफराज व अनस के साथ मिलकर कभी कभी मोबाइल टावरों से आर.आर.यू व बैट्री व अन्य सामान चोरी करते है व कभी उनको मोबाइल टावर की लोकेशन बताकर मोबाइल टावर  से आर.आर.यू व बैट्री व अन्य सामान चोरी करवाता है और इसी क्रम मे मै करीब डेढ महीने पहले मेरे कुछ साथियों को पुलिस ने चोरी के रेडियो रिसीवर यूनिट मोबाईल टावर आदि चोरी के सामान सहित पकड लिया था, मौका का फायदा उठाकर मै तथा मेरे साथी भाग गये थे तथा जो NOKIA AZNA मोबाइल टावर रेडियो रिसिवर यूनिट मुझ से मिला है इसको अब से करीब तीन महीने पहले दिल्ली से रात के समय चोरी किया था, जगह मुझे याद नहीं है। जिस दिन हमारे साथियों को पुलिस ने पकडा था उस दिन मै तथा मेरे साथी अज्जू व हातिम कार से भागे थे आज मेरे पास से बरामद एक मोबाइल टावर रेडियो रिसिवर यूनिट उस दिन कार में रह गया था जिसे मैने रास्ते में डासना कब्रिस्तानों की झाडियों में छुपा दिया था, आज मै रात्रि के समय मौका पाकर इसे यहां से निकाल कर प्लास्टिक के कट्टे में रखकर मोहसीन, सरफराज व हसन की मदद से शाहिद मलिक व नूर उर्फ नूरू एवं दिलशाद उर्फ दिल्लू व अय्यूब बेचने के लिए डासना अण्डर पास से पहले स्कूल की दीवार की आड लेकर सवारी के इंजार में खडा था कि आपने पकड लिया। मै तथा मेरे साथी गाजियाबाद, दिल्ली एन.सी.आर क्षेत्र के साथ-साथ बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब व अन्य स्थानों में लगे मोबाइल टावरों से रेडियो रिसीवर यूनिट, बैट्रियां व मोबाइल टावरो के अन्य सामान की चोरी करने का एक संगठित गिरोह है । मोबाइल टावरो के उपकरणों की चोरी के माल को बेचने में जो भी मुनाफा होता हैं हम सब लोग आपस में बांट लेते हैं । हम लोग पिछले कई वर्षो से यह मोबाइल के टावरो का सामान चोरी करने व चोरी का सामान खरीदने-बेचने का काम कर रहे हैं । साहब इसके अलावा भी हमारे गिरोह ने गाजियाबाद, दिल्ली एन.सी.आर क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रा व अन्य अलग- अलग स्थानो पर भी मोबाइल टावरो से उपकरणो की चोरिया की हैं ।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-</u>**

अमन पुत्र इकरामुद्दीन निवासी 60 फुटा रोड,समर गार्डन कालोनी, थाना लिसाड़ी गेट मेरठ उम्र करीब 22 वर्ष

**<u>बरामदगी का विवरणः-</u>**

चोरी किये गये 01 NOKIA AZNA मोबाइल टावर रेडियो रिसिवर यूनिट सीरियल नम्बर (S) K9211200648 बरामद ।

**गिरफ्तार करने वाली टीमः-**

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

**स्वाट टीम डीसीपी ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक लुटेरा गिरफ्तार, निशांदेही से लूटे गये 02 कुण्डल पीली धातु व 02 कुण्डल नुमा बाली पीली धातु, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 खोखा कारतूस 315 बोर व एक तमन्चा 315 बोर, एक चाकू व एक नीली सफेद चैकदार शर्ट मय एक थैला बरामद।**

स्वाट टीम डीसीपी ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 25.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर माधवपुरम जनपद मेरठ से एक लुटेरा व्यक्ति रजा मोहम्मद उर्फ रजुआ उर्फ बीन्ना पुत्र इम्तयाज उर्फ इम्तियाज नि0 राजपुर थाना सिंभावली जनपद हापुड़, उम्र करीब 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल UP 15 DW 5684 बरामद की गयी। लुटेरा अभियुक्त से गहनता से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया कि साहब मेरे ऊपर कई मुकदमे अलग अलग जिलो के चल रहे है। मेरे पास वकील की फीस देने तक के रूपये नही थे। मैने दिनांक 23/9/24 की सुबह के समय 8.00 बजे - 8.30 बजे के बीच में ग्राम नवीपुर के पास एक महिला के दो कुंडल तमंचा और चाकू दिखाकर छिन लिए थे और फिर वापस मेरठ चला गया था तथा दिनांक 24/9/24 को समय 9.00 - 09.30 बजे के बीच ग्राम सलेमाबाद के जंगल में चार महिलाओं को डराकर एक महिला से कानो की बालिया छीन ली थी। लेकिन मै भागते हुए गिर गया था तथा कुछ आदमी मेरे पीछे भागे थे और आगे पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनते ही मैं अपना तमंचा एवं राउन्ड तथा दोनो दिन की सोने के कुण्डल व बालियो एक थैले में रखकर बहुत जल्दी में रोड़ के किनारे ईख में छिपाकर मेरठ भाग गया था, मेरा दिनांक 24/9/24 को यही विचार था कि दि0 23/9/24 को छीने हुए कुण्डल एवं दि0 24/9/24 को जो भी माल मिलेगा, एक साथ बेचकर आऊंगा। चाहो तो मैं सारे माल को बरामद करा सकता हूँ। इस पर अभि0 रजा मौहम्मद उपरोक्त को बताये गये स्थान काकडा पुलिया से रेवडा रेवडी रोड की ओर सलेमाबाद झाल से पहले लेकर आये जहाँ पर अभियुक्त रजा मोहम्मद उपरोक्त ने आगे जाने पर ईख के खेत के पास गाडी रोकने के लिये कहा, अभियुक्त के बताने पर गाडी रोककर अभियुक्त रजा मोहम्मद ने नीचे उतर कर बताया की साहब यही ईख का खेत है, जहां पर मैने कान के कुण्डल व बाली को छुपाया था, आपको उठाकर दे दूँगा। तत्पश्चात अभि0 रजा मोहम्मद ने पुलिस वालो को खेत के पास ले जाकर टार्चो की रोशनी में खेत के अन्दर से एक नीली सफेद चैकदार रंग की शर्ट में लिपटा हुआ एक अदद चाकू निकालकर दिया व अभियुक्त रजा मोहम्मद उपरोक्त द्वारा उसी शर्ट की बायी जेब से 02 अदद कुण्डलनुमा बाली पीली धातु निकालकर दी तथा पास ही पडे एक थैले मे से 02 अदद कुण्डल पीली धातु निकालकर दिये तभी एक दम अभियुक्त ने उसी थैले मे से एक लोड तमन्चे को निकालकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया और कहने लगा कि मेरे पीछे मत आना नही तो सबको जान से मार डालूँगा पुलिस टीम द्वारा भी अपने आत्म रक्षार्थ फायर किये गये जिसमें एक गोली लुटेरा अभियुक्त के दाहिने हाथ को छुते हुए निकल गयी और एक गोली अभियुक्त के दाहिने पैर के नीचे लगी जिससे अभियुक्त घायल हो गया, अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु सीएचसी मुरादनगर भेजा गया।

**बरामदगी का विवरण-**

1- 02 अदद कुण्डल पीली धातु सम्बन्धित मु0अ0सं0 608/24 धारा 309(4)/351(3) बी.एन.एस

2- 02 अदद कुण्डलनुमा बाली पीली धातु मु0अ0सं0 610/24 धारा 309(4) बी.एन.एस

3- एक तमन्चा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 खोखा कारतूस 315 बोर

4- एक चाकू

5- एक नीली सफेद चैकदार शर्ट मय एक थैला

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

रजा मोहम्मद उर्फ रजुआ उर्फ बीन्ना पुत्र इम्तयाज उर्फ इम्तियाज निवासी राजपुर, थाना सिम्भावली जिला हापुड हाल पता माधवपुरम, थाना ब्रहमपुरी, जिला मेरठ उम्र करीब 40 वर्ष

**आपराधिक इतिहास**

अभियुक्त रजा मौहम्मद उर्फ रजुआ उर्फ बीन्ना उपरोक्त के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जनपदो में करीब 30 मुकदमे पंजीकृत हैं।

**गिरफ्तार करने वाली टीम**

स्वाट टीम डीसीपी ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम

**थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर होटल की चेकिग के दौरान 08 अभियुक्त संदिग्ध/आपत्तिजनक अवस्था मे गिरफ्तार किये गये व 08 युवतियों को रेस्क्यू किया गया।**

आज दिनांक 26.09.24 को विभिन्न श्रोतो से प्राप्त देह व्यापार सम्बन्धित शिकायत के आधार पर सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली के नेतृत्व मे एक टीम गठित करते हुए थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम के साथ पर्याप्त महिला पुलिस बल को लेकर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र बजरिया स्थित उपरोक्त होटलो पर आकस्मिक चेकिग की गयी खिडकियों से झांककर देखा गया तो कुछ जोडे आपत्तिजनक स्थिति मे मिले है उनके पास आपत्तिजनक सामान बरामद हुए है तथा होटल के काउंटर पर भी भारी मात्रा मे आपत्तिजनक सामान के पैकेट बरामद हुए है होटल मालिक पैसे लेकर देह व्यापार करा रहे थे। इसमे से कुछ जोडे साथ मे लडकियां लाये थे और कुछ को होटल मालिक द्वारा लडकियां उपलब्ध करायी है इन होटलो को सीज कर दिया गया है। होटल क्विज मे 01 जोडा, होटल डबल ट्री मे 03 जोडे , होटल शुभम मे 01 जोडा ,होटल आर्यदीप मे 01 जोडा , होटल पार्ट टाउन मे 02 जोडे संदिग्ध / आपत्तिजनक स्थिति मे मिले है। कुल 08 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया व 08 युवतियों को रेस्क्यू किया गया। होटलो के लाईसेंस निरस्त कराने हेतु जिलाधिकारी महोदय को पृथक से रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है तथा गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**नाम पता अभियुक्त**

1- विजयानंद दूबे पुत्र स्व0 शिवप्रसाद दूबे निवासी ग्राम भोली पांडे थाना देहात कोतवाली जिला मिर्जापुर उम्र 60 वर्ष
2- फैसल पुत्र शमशाद निवासी गली नं0 3 हिन्डन विहार थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

3- शिवम यादव पुत्र राकेश यादव निवासी ग्राम अदन खेडा थाना बीघापुर कानपुर उम्र 19 वर्ष
4- शाहनवाज पुत्र शमशाद निवासी कटरा पठान थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद उम्र 37 वर्ष
5- रमेश पुत्र विजयसिह निवासी म0न0 ए 400 शान्ति फार्म के पास गली नंदग्राम थाना नंदग्राम गाजियाबाद। उम्र 50 वर्ष
6- आफताब अंसारी पुत्र रियाज मिंया निवासी ए 1/249 कविनगर इन्डस्ट्रियल एरिया थाना कविनगर गाजियाबाद मूल निवासी कस्बा पिपरा थाने के पास थाना पिपरा जिला पूर्वी चम्पारन बिहार। उम्र 21 वर्ष
7- अखिलेश कुमार पुत्र दशयी सिह निवासी म0न0 438 गली नं0 10 सोनिया विहार थाना खजूरी खास दिल्ली उम्र 34 वर्ष।
8- मृत्युंजय कुमार सैनी पुत्र स्व0 सत्यनारायण भगत निवासी गांव मेवला महाराजपुर थाना मेवला जनपद फरीदाबाद हरियाणा उम्र 49 वर्ष।

**गिरफ्तार करने वाली टीम**:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

**थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा निर्माणाधीन मकान से तार चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 08 बंडल तार (डीएबी गोल्ड के 2.5 एमएम) बरामद।**

दिनांक 25.09.2024 को थाना टीलामोड़ पर वादी दीप कुमार पुत्र श्री रामेश्वर दयाल निवासी डी-961 इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना टीलामोड़ गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के निर्माणाधीन मकान से 08 बंडल तार (डीएबी गोल्ड के 2.5 एमएम) का चोरी हो जाने के संबंध में तहरीर दी। तत्काल थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। सीसीटीबी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त राज पुत्र भीमसैन निवासी फ्लेट नम्बर 212 जीडीए अम्बेडकर कालोनी थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को फर्रुखनगर रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी का 08 बंडल तार बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण:-**

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैं नशे का आदी हूँ। मेरे पास नशे के खर्चे के लिये कोई साधन नही है। इसलिये चोरी कर अपना नशे के खर्च की पूर्ति करता हूँ। मुझसे प्राप्त 08 बंडल तार चोरी का ही है। जिसको दो-तीन दिन पहले ही चोरी किया था। जिसे बेचने की फिराक मे इधर उधर घूम रहा था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:**

राज पुत्र भीमसैन निवासी फ्लैट नम्बर 212 जीडीए अम्बेडकर कालोनी थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:**

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

**थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा फोन स्नैचिंग की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से स्नैच किया हुआ आई फोन बरामद।**

**कार्यवाही का विवरण:** दिनांक 26.09.2024 को वादी गौरव माहौर पुत्र राजकुमार माहौर निवासी सैन विहार गली नं.03 विजय नगर थाना क्रोसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 25.09.2024 को राजेन्द्र नगर सै0-02 से डयूटी करके अपने घर जा रहा था तभी रास्ते में ब्रदर शाँप के पास 02 अज्ञात बाइक सबार व्यक्ति द्वारा वादी का आई फोन छीनकर भाग जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी तत्काल थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर फोन स्नैचिंग की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त प्रवीन पुत्र जगदीश निवासी डी-1/1350 गली न. 32 हर्ष विहार उम्र 19 वर्ष को डी0ए0वी कट राजेन्द्र नगर थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से स्नैच किया हुआ मोबाइल आई फोन बरामद। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण:**

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मै और मेरे साथी अर्पित पुत्र बिजेंद्र निवासी गली न. 12 हर्ष विहार दिल्ली ने यह आई फोन सेक्टर 2 राजेन्द्र नगर से दिनांक 25.09.2024 की रात्रि को राह चलते व्यक्ति से छीना था तथा 02 दिन पहले ही हम दोनों ने एक आई फोन 15 एक महिला से गुरुद्वारे के पास मुलेठी रेस्टोरेंट के पास से छीना था। एक फोन सैमसंग फोल्ड 3 मोबाइल 5 माह पहले भाटी गेट के पास से एक राह चलते व्यक्ति से छिना था जिसे हमने एक राह चलते आदमी को दस हजार बेच दिया था और रूपये आपस में बाट लिए थे जो हमसे खर्च हो गये | हम दोनों मोटर साइकिल से स्नैचिग की घटना करते हैं फिर हम सब स्नैचिग किए हुए माल को राह चलते व्यक्तियों को सस्ते दामों मे बेच देते है और जो रुपये मिलते है। उनको हम दोनो आपस में बाँट लेते है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:**

प्रवीन पुत्र जगदीश निवासी डी-1/1350 गली न0 32 हर्ष विहार उम्र 19 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण:**

- कब्जे से स्नैच किया हुआ आई फोन बरामद।

**अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:**

- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर स्नैचिंग व लूट के 03 अभियोग पंजीकृत है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:**

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।